भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 345*

19 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्लम बस्तियों में रहने वालों का पुनर्वास

†*345. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

श्री राजेश वर्माः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रत्येक शहर में स्लम बस्तियों की कुल संख्या, स्लम बस्तियों में कुल घरों की संख्या और उनमें रहने वाली कुल आबादी का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार और शहरवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्मार्ट शहरों सहित प्रत्येक शहर में स्लम बस्तियों में रहने वाले ऐसे परिवारों की शहरवार और वर्षवार संख्या कितनी है जिनका पुनर्वास किया गया; और

(ग) शहरों को स्लम बस्ती मुक्त बनाने के लिए स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'स्लम बस्तियों में रहने वालों का पुनर्वास' के संबंध में दिनांक 19.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 345* के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) भारत की जनगणना स्लम-वासियों सहित देश में दशकीय आधार पर जनसंख्या की गणना करती है। पिछली जनगणना 2011 में की गई थी, जिसके अनुसार देश भर में 1.39 करोड़ आवासों में कुल 6.54 करोड़ लोग स्लम में रह रहे थे। देश में स्लम बस्तियों की संख्या के आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा एकत्र किए जाते हैं। 2012 में 69वें दौर के सर्वेक्षण के दौरान एनएसएसओ द्वारा एकत्र किए गए स्लम बस्तियों के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, देश में स्लम बस्तियों की अनुमानित संख्या 33,510 है, जिसमें 13,761 अधिसूचित स्लम बस्तियों और 19,749 गैर-अधिसूचित स्लम बस्तियों शामिल हैं। एनएसएसओ सर्वेक्षण 2012 के अनुसार स्लम बस्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या, जनगणना-2011 के अनुसार स्लम में रहने वाले परिवार और स्लम की आबादी अनुलग्नक में दी गई है।जनगणना 2011 के अनुसार स्लम में रहने वाली आबादी और आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) और शहर-वार विवरण यूआरएल **https://pmay-urban.gov.in/PHQ/LSSQ-**345-19122024-**city-wise-slum-details-census-**2011.**pdf** पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग): 'भूमि' और कॉलोनीकरण राज्य के विषय हैं। आवास और स्लम पुनर्वास से संबंधित योजनाएं अपने संबंधित क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय स्लम वासियों सहित देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है। पात्र लाभार्थी उपलब्ध चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), ''स्व-स्थाने'' स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबंद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से पीएमएवाई-यू का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना ने स्लमवासियों सहित लाभार्थियों को आवश्यकता और पात्रता मानदंड के अनुसार किसी भी घटक के तहत लाभ प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। पीएमएवाई-यू का आईएसएसआर घटक विशेष रूप से पात्र स्लमवासियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करके स्लम के पुनर्विकास के लिए है। हालाँकि, स्लमवासी किसी भी एक घटक के तहत लाभ ले सकते हैं।

पीएमएवाई-यू मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाता है और इसमें कोई निश्चित लक्ष्य नहीं हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से आवश्यकता का आकलन करते हैं, पात्रता मानदंडों के आधार पर लाभार्थियों का चयन करते हैं और आवास परियोजनाओं को कार्यान्वित करते हैं। मांग सर्वेक्षण और लाभार्थियों के चयन के आधार पर, परियोजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं और केन्द्रीय

स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा केंद्रीय सहायता पर विचार करने से पहले ये प्रस्ताव राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय मंजूरी और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, **02.12.2024** तक की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय द्वारा कुल **118.64** लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से **114.23** लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और **88.32** लाख आवास पूरे हो चुके हैं/स्मार्ट सिटीज के साथ-साथ देश भर के शहरों में स्लमवासियों सहित लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इस योजना के तहत स्वीकृत कुल आवासों में से, लगभग 29 लाख आवास स्लमवासियों हेतु स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें एएचपी/बीएलसी घटक के तहत 26.05 लाख आवास और पीएमएवाई-यू के आईएसएसआर घटक के तहत 2.95 लाख आवास शामिल हैं। स्मार्ट सिटीज सहित प्रत्येक शहर में पीएमएवाई-यू के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान शहर और वर्ष-वार स्लम में रहने वाले परिवारों हेतु स्वीकृत आवासों की संख्या **https://pmay-urban.gov.in/PHQ/LSSQ-**345-19122024-**city-wise-slum-dwellers.pdf** पर दी गई है। स्मार्ट सिटीज में, **29** लाख आवासों में से, **5.52** लाख आवास स्लमवासियों के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

पीएमएवाई-यू के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सबके लिए आवास' मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से देश भर के शहरी क्षेत्रों में किफायती लागत पर आवास बनाने, खरीदने और किराए पर लेने के लिए एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना है। आज तक, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमित ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। योजना दिशानिर्देश **https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-**2.**pdf** पर उपलब्ध हैं

*****

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक-सभा तारांकित प्रश्न संख्या 345 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

एनएसएसओ सर्वेक्षण 2012 के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्लम बस्तियों की संख्या तथा जनगणना 2011 के अनुसार स्लम बस्तियों में रहने वाले परिवार एवं स्लम जनसंख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहरों की संख्या		स्लम बस्तियों वाले परिवार	स्लम आबादी	एनएसएसओ के अनुसार स्लम बस्तियों की संख्या
	सांविधिक शहर	स्लम बस्तियों वाले शहर			
आंध्र प्रदेश*	125	125	24,31,474	1,01,86,934	4,539
अरुणाचल प्रदेश	26	5	3,479	15,562	-
असम	88	31	42,533	1,97,266	71
बिहार	139	88	2,16,496	12,37,682	655
छत्तीसगढ	168	94	4,13,831	18,98,931	1,079
गोवा	14	3	5,497	26,247	-
गुजरात	195	103	3,45,998	16,80,095	2,923
हरियाणा	80	75	3,32,697	16,62,305	71
हिमाचल प्रदेश	56	22	14,385	61,312	47
जम्मू और कश्मीर	86	40	1,03,633	6,62,062	42
झारखंड	40	31	72,544	3,72,999	-
कर्नाटक	220	206	7,07,662	32,91,434	1,424
केरल	59	19	45,417	2,02,048	35
मध्य प्रदेश	364	303	11,17,764	56,88,993	1,635
महाराष्ट्र	256	189	24,99,948	1,18,48,423	7,723
मणिपुर	28	-	-	-	-
मेघालय	10	6	10,518	57,418	-
मिजोरम	23	1	15,987	78,561	-
नागालैंड	19	11	17,152	82,324	-
ओडिशा	107	76	3,50,032	15,60,303	756
पंजाब	143	73	2,93,928	14,60,518	597
राजस्थान	185	107	3,94,391	20,68,000	1,600
सिक्किम	8	7	7,203	31,378	-
तमिलनाडु	721	507	14,63,689	57,98,459	2,364
त्रिपुरा	16	15	34,143	1,39,780	-
उत्तर प्रदेश	648	293	10,66,363	62,39,965	1,814
उत्तराखंड	74	31	93,911	4,87,741	-
पश्चिम बंगाल	129	122	13,91,756	64,18,594	3,957
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	3,324	14,172	-
चंडीगढ़	1	1	21,704	95,135	-
दादरा और नगर हवेली	1	-	-	-	-

दमन और दीव	2	-	-	-	-
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3	22	3,67,893	17,85,390	458
लक्षद्वीप	0	-	-	-	-
पुदुचेरी	6	6	34,839	1,44,573	17
पुरे भारत में कुल	**4,041**	**2,613**	**1,39,20,191**	**6,54,94,604**	**33,510#**

नोट: मणिपुर, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव ने एनएसएसओ सर्वेक्षण 2012 और जनगणना 2011 के दौरान किसी भी स्लम और स्लम परिवारों तथा स्लम आबादी की रिपोर्ट नहीं दी।

*आंध्र प्रदेश के आंकड़ों में तेलंगाना भी शामिल है।

छोटे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्लम बस्तियों की संख्या उपलब्ध नहीं है, हालाँकि एनएसएसओ के अनुमान के अनुसार 2012 के दौरान देश में स्लम बस्तियों की कुल संख्या 33,510 थी।